E Learning Study Material
BY Prof YADWENDRA SINGH
MAHARAJA COLLEGE ARA
BA PART TWO ECONOMICS HONS
PAPER THIRD

Liberalised Policy under Industrial Policy 1991 of India

3. विदेशी पूँजी और प्रौद्योगिकी की ओर उदार नीति - विदेशी पूँजी का आगमन एवं प्रौद्योगिकी का आयात को पूर्व की औद्योगिक नीतियों में प्रतिबंधित रूप में अपनाया गया था। विदेशी निवेश के प्रत्येक प्रस्ताव को सरकार द्वारा पहले ही मंजूरी लेनी थी। जहां कहीं भी विदेशी निवेश को अनुमति दी गयी थी विदेशी इक्विटी का हिस्सा बहुत कम रखा गया था ताकि भारतीयों के साथ स्वामित्व नियंत्रण का बहुमत बना रहे।

लेकिन इस नीति से विदेशी पूँजी का आगमन बहुत कम मात्रा में हुआ जिसका औद्योगिक विकास पर अच्छा एवं लाभकारी प्रभाव नहीं पड़ा बल्कि नुकसान उठाना पड़ा। जुलाई 1991 की औद्योगिक नीति ने भारत में विदेशी पूंजी और प्रौद्योगिकी के आगमन को प्रोत्साहित करने के लिए कई रियायतें दी जो इसप्रकार हैं—

(i) विदेशी निवेश की अधिकतम सीमा में छूट - 1991 की नीति के अन्तर्गत विदेशी निवेश के

लिए औद्योगिक इकाइयों की कुल इक्विटी पूँजी में विदेशी इक्विटी हिस्सा की अधिकतम सीमा 40 प्रतिशत रखी गयी थी। इस सीमा को बढ़ाकर 51 प्रतिशत कर दिया गया। 51 निर्दिष्ट विदेशी इक्विटी हिस्सेदारी की सूची में 34 निर्दिष्ट अधिक उद्योगों को जोड़ा गया था। इसके अलावे कुछ उद्योगों में विदेशी इक्विटी का अनुपात बढ़ाकर 74 प्रतिशत तक दे गया था। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) को और अधिक उदार बनाया गया और अब 100 प्रतिशत विदेशी इक्विटी को स्वतःक्षेत्र में बढ़ा कर दिया गया जिसमें कोयला, लिगनाइट, प्रदूषण नियंत्रण से सम्बन्धित उपकरण, बिजली उत्पादन के लिए परियोजनाएँ, ट्रान्समिशन और वितरण, बंदरगाह, जहाजरानी आदि शामिल है।

FDI को और उदार बनाने के लिए हाल ही में लिये गये निर्णय में तेल शोधन में 100 प्रतिशत ~~की~~ 100 प्रतिशत FDI की अनुमति विशेष आर्थिक क्षेत्रों (SEZ) में ~~सभी~~ विनिर्माण गतिविधियाँ, दूर संचार की गतिविधियाँ आदि सम्मिलित हैं।

(ii) विदेशी प्रौद्योगिकी समझौते के लिए ~~स्वतः~~ स्वतः अनुमति :- नई औद्योगिक नीति में कहा गया है कि उच्च प्राथमिकता वाले उद्योगों में विदेशी प्रौद्योगिकी समझौतों को स्वचालित अनुमति दी गयी। पहले प्रौद्योगिकी

के आयात के लिए विदेशी पक्षों के साथ एक भारतीय कम्पनी द्वारा प्रौद्योगिकी समझौते के लिए सरकार से अग्रिम निकासी की आवश्यकता थी। जिसके फलस्वरूप प्रौद्योगिकी के आयात में विलम्ब हुआ। साथ ही उद्योगों के आधुनिकीकरण में बाधा उत्पन्न हुई। अब भारतीय कम्पनियां विदेशी कम्पनियों के साथ प्रौद्योगिकी समझौते में प्रवेश कर सकती हैं और विदेशी प्रौद्योगिकी का आयात कर सकती हैं जिसके लिए अनुमति स्वत: प्रदान की जायेगी, जबकि समझौतों में एक - मुश्त भुगतान शामिल है। एक करोड़ और रॉयल्टी घरेलू बिक्री पर 5 प्रतिशत और निर्यात पर 8 प्रतिशत है।

4. MRTP अधिनियम में परिवर्तन :- एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार (MRTP अधिनियम, 1969 के अनुसार, सभी बड़ी कम्पनियां और बड़े व्यापारिक घरानों (जिनके पास 100 करोड़ रुपये या उससे अधिक की सम्पत्ति थी, 1985 के अनुसार अधिनियम में संशोधन के अनुसार) से मंजूरी प्राप्त करने के लिए आवश्यक थे। किसी भी नई औद्योगिक इकाई की स्थापना के लिए MRTP आयोग की ऐसी कम्पनियां जिन्हें MRTP कम्पनियां कहा जाता है को केवल कुछ चुने हुए उद्योगों निवेश करने की अनुमति थी।